न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 27/2017

श्रीमति सुनीता पत्नि श्री सुरेशचन्द जी जाति बैरवा निवासी ग्राम खूटियां तहसील बियजनगर जिला अजमेर राज0। ....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बिजयनगर जिला अजमेर राज0। ....प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

आदेश दिनांक 28.07.2017

प्रार्थीया ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि प्रार्थीया की आराजी कृषि भूमि ग्राम जालिया द्वितीय तहसील मसूदा हाल तहसील बिजयनगर स्थित आराजी खसरा नम्बर 3446/2 रक्बा 0–04–10 बिस्वा बा0 3 उसकी खुदकाश्त की भूमि है जिस पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थीया को अपने खेत पर कृषि करने में परेशानी होती है। इसलिए प्रार्थीया को ग्राम जालिया द्वितीय स्थित सरकारी बंजर भूमि बारानी 3 आराजी खसरा नम्बर 3445 रक्बा 7–07–10 बीघा से 30 फिट चोडा रास्ता बाजार भाव दर से दिलवाने की कृपा कराये

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब करने पर जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 3354 रक्बा 14–14–10 किस्म सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम व खसरा नम्बर 3445 रक्बा 2–07–10 किस्म बा0 3 सिवायचक भूमि सरकारी खाते में दर्ज है प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ख0 न0 3446/2 के मध्य से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 3445 रक्बा 2–07–10 पटटी के रूप में आती है जिसकी चौडाई 26 फूट है। प्रार्थीया खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए सिवायचक खसरा नम्बर 3445 मे से 30x26 वर्ग फुट भूमि रास्ते के लिए उपयोग में ली जाती है।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्षान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 19 में प्रार्थीया खसरा नम्बर 3446/2 रक्बा 0–04–10 बा0 3 बीघा भूमि की खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया के जालिया द्वितीय स्थित खेत खसरा नम्बर 3446/2 पर जाने के लिए कोई रास्ता नही है। प्रार्थी खसरा नम्बर 3445 जो सरकारी खाते बंजर भूमि है इसमें रास्ता तरमीम करवाना चाहती है। इस रास्ते के लिए खसरा नम्बर 3445 से 30x26 कुल 780 वर्ग फीट भूमि रास्ते में जानी है जिसके अनुसार रक्बा कुल 00–00–18 बिस्वांसी जमीन में रास्ते तरमीम किया जाना है। ग्राम जालिया द्वितीय में भूमि की दर DLC अनुसार रु 1,45,000 है।

इस सभी तथ्यों पर विवेचन करने पर प्रार्थीया की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि पर आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध होना नही पाया जाता। प्रार्थीया भी सरकारी आराजी बंजर भूमि से रास्ता चाहती है। जिस बाबत् तहसीलदार बिजयनगर के

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

जांच प्रतिवेदन के कोई एतराज नही आया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः–

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 3446/2 रक्बा 0–4–10 बिस्वा पर आने जाने के लिए खसरा न0 3445 के रक्बा 7–07–10 में से कुल 00–00–18 बिस्वांसी भूमि पर 30x26 वर्ग फिट चौडा रास्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तावित रास्ता अनुसार तरमीम करने के आदेश भूमि की दो गुणा कीमत 13050/– पर स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार बिजयनगर रु 13050/– प्रार्थीया से खजाने सरकार जमा करवाकर नक्शा लंकलॉट में तरमीम करावे। यथानुसार तहसीलदार बिजयनगर पर तहरीर जारी हो। प्रार्थीया द्वारा राशि खजाने सरकार जमा कराने पर आदेश की पालना हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 15:55:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: